



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र 1937 (श0)
(सं0 पटना 421) पटना, सोमवार, 6 अप्रील 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

6 अप्रील 2015

एस0ओ0 47, दिनांक 6 अप्रील 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 की अधिनियम संख्या 27) की धारा-10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा सुपौल जिला में वाणिज्य-कर अंचल कार्यालय की स्थापना करते हैं।

2. सुपौल वाणिज्य-कर अंचल की क्षेत्रीय अधिकारिता सुपौल जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के समतुल्य निम्नवत् होगी :-

- (क) सुपौल अनुमंडल का संपूर्ण क्षेत्र;
- (ख) वीरपुर अनुमंडल का संपूर्ण क्षेत्र;
- (ग) निर्मली अनुमंडल का संपूर्ण क्षेत्र;
- (घ) त्रिवेणीगंज अनुमंडल का संपूर्ण क्षेत्र।

3. नवसृजित सुपौल अंचल पूर्णियाँ प्रमंडल के वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) तथा प्रमंडलीय अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णियाँ प्रमंडल की क्षेत्रीय अधिकारिता में शामिल होगा।

4. यह अधिसूचना सुपौल अंचल कार्यालय के प्रारंभ होने की तिथि से प्रभावी होगी जिसके लिए पृथक अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

[सं0 6/प0सू0-19-01/2014-1503(अनु0)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग।

6 अप्रील 2015

एस0ओ0 48, एस0ओ0 47, दिनांक 6 अप्रील 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0 6/प0सू0-19-01/2014-1503(अनु0)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग।

The 6th April 2015

S.O. 47 dated the 6th April 2015—In exercise of the powers conferred by Sub-section(2) of Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), the Governor of Bihar is hereby pleased to establish the office of the Commercial Taxes Circle in Supaul District of Bihar.

2. Territorial jurisdiction of Supaul Commercial Taxes circle will be equivalent to the geographical area of District of Supaul, as following :-

- (a) The whole area of the Supaul Sub-division;
- (b) The whole area of the Birpur Sub-division;
- (c) The whole area of the Nirmali Sub-division;
- (d) The whole area of the Triveniganj Sub-division.

3. Newly established Supaul circle shall be included in the territorial jurisdiction of Joint Commissioner Commercial Taxes (Administration), Joint Commissioner Commercial Taxes (Appeal), Joint Commissioner Commercial Taxes (Audit) and Investigation bureau of Darbhanga division.

4. This notification shall be effective from the date of the commencement of the Supaul circle for which a separate Notification shall be issued.

[No. 6/Pa.Sri.-19-01/2014-1503(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

RAVI MITAL,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

6 अप्रील 2015

एस0ओ0 49, दिनांक 6 अप्रील 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 की अधिनियम संख्या 27) की धारा-10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-43 एवं 44 दिनांक 02.07.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 132, 133, 134, 135 एवं 136 स्तंभ 3 की वर्तमान प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी :-

“कोशी असैनिक प्रमंडल का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं भागलपुर जिला के नवगछिया थाना बिहपुर एवं गोपालपुर पुलिस थाना का क्षेत्र एवं सम्पूर्ण खगड़िया जिला।”

2. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 152, 153, 154, 155 एवं 156 (हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ) स्तंभ 3 की वर्तमान प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी :- “सम्पूर्ण दरभंगा सिविल डिविजन का क्षेत्र”
3. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 165 एवं 166 स्तंभ 3 की वर्तमान प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी :-
“मधुबनी जिला का झंझारपुर अनुमंडल एवं फुलपरास अनुमंडल का सम्पूर्ण क्षेत्र”
4. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 150 के पश्चात् निम्नलिखित नई क्रम संख्या- 150 क एवं 150 ख अंतःस्थापित की जाएंगी :-

“150 क	वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, सुपौल अंचल	सुपौल जिला का सम्पूर्ण क्षेत्र
150 ख	वाणिज्य-कर पदाधिकारी, सुपौल अंचल	सुपौल जिला का सम्पूर्ण क्षेत्र”

यह अधिसूचना सुपौल अंचल कार्यालय के प्रारंभ होने की तिथि से प्रभावी होगी जिसके लिए पृथक अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

[सं० 6/प०सू०-19-01/2014-1503(अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग।

6 अप्रील 2015

एस०ओ० 50, एस०ओ० 49, दिनांक 6 अप्रील 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० 6/प०सू०-19-01/2014-1503(अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग।

The 6th April 2015

S.O. 49 dated the 6th April 2015—In exercise of the powers conferred by Sub-section(2) of Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following amendments in the appended table of the Government of Bihar, Commercial Taxes Department notification No. So-43&44 dated 02.07.07 (as amended from time to time):-

1. The present entries in column (3) of serial N0. 132, 133, 134, 135and136 of the said notification shall be substituted by the following :-

“The whole of the Kosi Division excluding the police station and Naugachia, Thana Bihpur & gopalpur Police Stations of Bhagalpur district and whole of the district of Khagaria.”

2. The present entries in column (3) of serial N0. 152, 153, 154, 155 and 156 of the said notification shall be substituted by the following :-

“The whole of Civil Division Darbhanga”

3. The present entries in column (3) of serial N0. 165 and 166 of the said notification shall be substituted by the following :-

“The whole part of the Jhanjharpur Sub-division & Phulparas Sub-division of Madhubani district.”

4. The following new serial number 150A and 150B shall be inserted in the said Notification :-

“150A	Assistant Commissioner Supaul Circle.	The whole part of district of Supaul.
150B	Commercial Taxes Officer Supaul Circle.	The whole part of district of Supaul.”

This notification shall be effective from the date of the commencement of the Supaul circle for which a separate Notification shall be issued.

[No. 6/Pa.Sri.-19-01/2014-1503(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

RAVI MITAL,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 421-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>